संख्या-563/2025/आई/1139883/23-1-25/001-23-1002(002)/287/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 12 नवम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से अयोध्या मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 57 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **अयोध्या मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 57 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 39,17,86,000/- (रूपये उनतालीस करोड़ सत्रह लाख छियासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 13,71,25,000/- (रूपये तेरह करोड़ इकहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आई/271812/2025, दिनांक 11.09.2025	प्रा0खं0 बाराबंकी	460790	वि0खं0-सिद्धौर के अन्तर्गत मुर्तजीपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0-1, 2, 3(500) में विशेष मरम्मत का कार्य।	2.500	81.21	28.42
2	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. बाराबंकी	460595	बहराइच बांदा मार्ग से चियारा बरेहटा मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	5.500	88.55	30.99

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
3	I/327675/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-1 बाराबंकी	460129	रामनगर सआदतगंज सैदनपुर मुश्काबाद मार्ग (अ0जि0मा0) के चै010.735 से 11.235 तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण एवं हयूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य	0.500	107.93	37.77
4	आई/318437/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-3 अयोध्या	470274	जलालपुर शाहगंज रोड से काजीसराय भनौली नियाई सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	3.700	43.97	15.38
5	आई/318437/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-3 अयोध्या	471205	मुकीमपुर उर्फ पडाइपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य ।	4.000	47.91	16.76
6	आई/318437/2025, दिनांक 24.10.202 5	नि.ख.-3 अयोध्या	471621	डेरामूसी से मोहम्मदपुर बड़ागांव वाया आश्रम पद्धति स्कूल रहीमपुर बदौली सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	4.500	67.90	23.76
7	आई/318437/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-3 अयोध्या	478022	मजनावां से मजनाई वाया गोविन्द का पुरवा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.800	42.27	14.79
8	आई/318437/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-3 अयोध्या	478024	डेलवाभारी एस0जी0 ट्यूबेल से बड़ागांव रेलवे स्टेशन वाया नहर पटरी एवं पुरानी बगिया सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	45.02	15.76
9	आई/318437/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-3 अयोध्या	471645	फैजाबाद लखनऊ रोड से जुबेरगंज बाजार वाया कटरौली सल्हेपुर निमैचा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.500	45.70	16.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
10	आई/318437/2025, दिनांक 24.10.202 5	नि.ख.-3 अयोध्या	478121	जलालपुर पहुपी कुचेरा से 08 किमी से झिलाही वाया पंडित का पुरवा गुरूबक्श का पुरवा ठाकुरदीन का पुरवा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	3.000	44.360	15.53
11	आई/318437/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-4 अयोध्या	471332	टिकैतनगर शुजागंज से ममरेजनगर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	4.640	95.40	33.39
12	आई/318437/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-4 अयोध्या	477830	शाखा नहर हरिहरपुर बलैया हिन्दू इण्टर कालेज वाया जमुनियामउ कादीपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	2.700	56.54	19.79
13	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-4 अयोध्या	477864	कसारी से मल्लाहन का पुरवा वाया बरवारी एवं बधाईन सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत	4.300	71.96	25.19
14	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-4 अयोध्या	470264	दुल्लापुर उमापुर मार्ग किमी० 12 से जिया का पुरवा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत	2.700	45.07	15.77
15	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-4 अयोध्या	471324	चन्द्रामउ मंगा से चन्द्रामउ बैरम सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत	1.000	52.96	18.54
16	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-4 अयोध्या	477963	रूदौली बाबा बाजार रेछ भूलामउ से कामाख्या धाम रोड वाया गनेशपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत	3.140	104.67	36.63
17	आई/318437/2025, दिनांक 24.10.202 5	प्रा.ख. अयोध्या	477925	चौरे कनावां मार्ग के किमी0 10 से मोतीगंज पाठक का पुरवा वाया हनुमान मन्दिर जासरपुर कासिम का पुरवा सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	3.100	45.38	15.88

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
18	I/327675/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. अयोध्या	470527	जलालपुर रामपुर भगन तारून अहिरौली मार्ग के किमी0 12 से दाये निकलकर बारा खास सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	2.300	130.29	45.60
19	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. अयोध्या	470250	गोसाईगंज रेलवे फीडर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	0.750	107.55	37.64
20	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. अयोध्या	471193	जोहन सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	2.880	98.28	34.40
21	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. अयोध्या	470383	गंगापुर नदौना से मियांगंज तक सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	1.000	47.92	16.77
22	I/327675/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-4 अयोध्या	470104	कुचेरा मजनाई मार्ग पर कुचेरा बाजार में इण्टरलाकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण का कार्य	0.200	51.04	17.86
23	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. अयोध्या	470793	खजुराबन से द्वारिकापुर सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	2.500	83.75	29.31
24	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. अयोध्या	470412	फैजाबाद अकबरपुर रोड से दशरथ समाधि माझा मूडाडीहा सम्पर्क मार्ग पर विषेश मरम्मत का कार्य।	1.460	117.19	41.02
25	आई/318437/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख. अम्बेडकरनगर	481557	जलालपुर नेवरी रोड से किमी 46 से भवानी पट्टी से ब्राम्हण पट्टी से होते हुए दरगाह भियॉव खास सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	2.000	48.70	17.05
26	आई/318437/2025, दिनांक 24.10.202 5	नि.ख. अम्बेडकरनगर	481383	नूरपुर कटका बंदीपुर सड़क से गौरा बाजार होते हुए नयानगर आजमगढ़ सीमा तक सोलिंग से पिच मार्ग	3.200	47.64	16.67
27	आई/318437/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख. अम्बेडकरनगर	481190	मुण्डेहरा अमहदी सम्पर्क मार्ग	3.000	64.14	22.45
28	I/327675/2025 dt 01.11.25	नि.ख. अम्बेडकरनगर	481509	न्योरी रामनगर चहोड़ा मार्ग विडहर खास से कवई अंजनपुर सम्पर्क मार्ग	1.200	199.80	69.93

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
29	I/322563/2025 dt 29.10.25	प्रा.ख. अम्बेडकर नगर	480630	भीटी रामपुर गिरण्ट मार्ग से बनगांव सम्पक्र मार्ग	2.300	61.23	21.43
30	आई/318437/2025, दिनांक 24.10.2025	प्रा.ख. अमेठी	720649	अमेठी इब्राहिमपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	2.300	52.70	18.45
31	आई/318437/2025, दिनांक 24.10.2025	प्रा.ख. अमेठी	727867	ताला गोसाईगंज विशेष मरम्मत अन्य जिला मार्ग के किमी0 12(850), 13, 14(050) विशेष मरम्मत का कार्य।	1.900	49.54	17.34
32	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. अमेठी	720904	अमेठी मुंशीगंज मार्ग से दादूपुर कुटरू घोसी होते हुए रायबरेली सुलतानपुर मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.1	62.26	21.79
33	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. अमेठी	720418	भूपतिपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.350	67.10	23.49
34	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. अमेठी	720380	ठेगहा सण्डीला सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.600	63.44	22.20
35	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. अमेठी	720637	गैरिकपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.400	44.30	15.51
36	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. अमेठी	720248	सण्डीला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	3.000	97.17	34.01
37	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. अमेठी	727861	माधोपुर हरदोइया पूरब बेसारा (अ0जि0मा0) के किमी0-2 व 16 में स्थित ध्वस्त पुलिया के स्थान पर बॉक्स कलवर्ट का कार्य।	Culvert	78.01	27.30
38	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. अमेठी	727862	टिकरा बैजनाथ करथुनी लालगंज दादरा गाजनपरु दुवरिया मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0-10 में नाले पर क्षतिग्रस्त कल्वर्ट के स्थान पर 2 x 2 मी0 डबल सेल आर0सी0सी0 बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	box culvert	70.82	24.79

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
39	आई/318437/2025, दिनांक 24.10.2025	प्रा.ख. अमेठी	721649	पूरब बेसारा से पश्चिम बेसारा सम्पर्क मार्ग के चैनेज 0.000 से 1.200 तक एवं चैनेज 1.700 से 1.850 तक विशेष मरम्मत का कार्य।	1.35	56.42	19.75
40	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. अमेठी	720622	गुवांवा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.900	49.06	17.17
41	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. अमेठी	720463	चन्दौकी कामायनी स्कूल से उलरा तक सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.200	46.86	16.40
42	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. अमेठी	720949	मुसाफिरखाना गौरीगंज मार्ग से केशवपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य।	0.500	54.97	19.24
43	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. अमेठी	725144	मुसाफिरखाना धरौली पिछौरा मठा रामपुर मझगवां पलिया चन्दापुर (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 0.000 से 0.480 एवं 12.800 से 12.900 तक विशेष मरम्मत का कार्य।	0.580	84.30	29.51
44	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख. अमेठी	721317	मिश्रौली से गूंगेमऊ सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	1.700	54.37	19.03
45	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख. अमेठी	721316	हारीमऊ सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	1.500	52.85	18.50
46	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख. अमेठी	720023	आमघाट से भूलीनगर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	1.570	43.39	15.19
47	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख. अमेठी	721311	नौडाड से बाबूपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	2.800	83.24	29.13
48	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख. अमेठी	721472	सराय हेतम सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	2.500	66.49	23.27
49	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख. अमेठी	720747	कमई भदमर भदसाना सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	2.200	66.30	23.21
50	आई/322563/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख. अमेठी	720447	गोपालपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	1.200	41.06	14.37

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
51	I/327675/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. सुल्तानपुर	491514	कमनगढ़ सिरवारा पुल एप्रोच के विशेष मरम्मत का कार्य।	0.600	75.71	26.50
52	I/327675/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-3 सुल्तानपुर	491195	सैनी कोटवा कांपा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	4.000	114.85	40.20
53	I/327675/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. सुल्तानपुर	490209	महाजितपुर सी0सी0 रोड से खटिक बस्ती हसनपुर मस्जिद एवं मन्दिर होते हुए लोधेपुर तक सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.000	50.30	17.61
54	I/327675/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. सुल्तानपुर	490480	देवलपुर महराजगंज मार्ग के किमी-5 से सादीपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.500	49.45	17.31
55	I/327675/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-3 सुल्तानपुर	490807	विधानसभा इसौली के अन्तर्गत अखरी भखरी सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.500	60.06	21.02
56	I/327675/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-3 सुल्तानपुर	494117	प्रा0वि0 सोनावा से राम सुमेर निषाद के घर तक सम्पर्क मार्ग	1.500	42.57	14.90
57	I/327675/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-3 सुल्तानपुर	490561	जुड़ारा मार्ग किमी0 2 से जूनियर हाईस्कूल से मिश्रपुर होते हुए एन0एच0.56 तक सम्पर्क मार्ग	3.100	95.94	33.58
					कुल योग-	**3917.86**	**1371.25**

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रिट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(8) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(10) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना को निर्धारित समयसीमा के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं क्रास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(16) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

(18) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(19) जिन मार्गों के सृष्टि कोड अंकित नहीं है, उनके संबंध में प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के हैं अथवा उनके लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में न होने की दशा में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 13,71,25,000/- (रूपये तेरह करोड़ इकहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण**"** के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-563/2025/आई/1139883/23-1-25(1)/001-23-1002(002)/287/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।